न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 35/2018 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री एस0एस0राणावत निवासी मां भवन हनुमान कॉलोनी, शास्त्रीनगर, भीलवाड़ा
––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर(प्रशा0) भीलवाड़ा
––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– अपीलार्थी अनुपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधी

निर्णय

दिनांक : 29/05/2018

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर(प्रशा0) भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 07.05.2018 को जरिये डाक अपील प्रेषित कर निवेदन किया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत दिनांक 05/04/2018 को एक आवेदन मय निर्धारित शुल्क 10/–रूपये नकद जमा कराए जिसकी रसीद संख्या 4271 दिनांक 05.04.2018 संलग्न कर लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर(प्रशा0) भीलवाड़ा से सूचना चाही गई परन्तु नियत समय सीमा व्यतीत हो जाने पर भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 05.04.2018 की प्रति अपील मेमो के साथ संलग्न कर जरिये डाक प्राप्त हुई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 11/05/2018 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया। तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर(प्रशा0), भीलवाड़ा से तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहा गया। अपीलार्थी के द्वारा उक्त दिनांक को बाहर होने के सम्बन्ध में जरिये मेल सूचना दी। प्रत्यर्थी ने अपने पत्रांक/सू0प्र0/ 2018/ दिनांक 24.05.2018 से बिन्दु संख्या 01 से लगायत 03 की सूचना अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करादी गई जिसकी पावती पत्र पर अंकित है साथ ही जरिये डाक भी भिजवाई गई।

अपीलार्थी अनुपस्थित प्रत्यर्थी को सुना गया। प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी का आवेदन दिनांक 05.04.2018 को प्राप्त हुआ जिसमें दर्ज 03 बिन्दुओं की सूचना चाही गई। जिला कलक्टर कार्यालय के राजस्व , न्याय एवं न्यायालय अनुभाग से सूचना चाही गई। सम्बन्धित अनुभागों से सूचना विलम्ब से प्राप्त होने से अपीलार्थी को जरिये डाक निःशुल्क भिजवादी जाने से अपील खारिज फरमाई जावे।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया ।

अपीलार्थी की अपील के साथ संलग्न आवेदन में अंकित 03 बिन्दुओं में से बिन्दु संख्या 01 की सूचना राजस्व अनुभाग ने अपने पत्रांक एफ 40–35(6)( )आरए/2018/1745 दिनांक 04.05.2018 से बिन्दु संख्या 02 की सूचना न्यायालय अनुभाग से दिनांक 24.04.2018 को सूचना प्रकोष्ठ में तथा बिन्दु संख्या 03 की सूचना न्याय अनुभाग के पत्रांक/न्याय/2018/24350 दिनांक 04.05.2018 से लोक सूचना अधिकारी, भीलवाड़ा को तैयार कर प्रेषित करते हुए प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई। जिसकी प्रति जवाब के साथ संलग्न है। उक्त अनुभागों से प्राप्त सूचनाएं संकलित करते हुए लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने अपने पत्रांक/सूचना प्रकोष्ठ/2017–18/179 दिनांक 17 मई, 2018 से अपीलार्थी को निःशुल्क स्पीड पोस्ट से भिजवाइ गई। प्रत्यर्थी के जवाब के साथ संलग्न अनुभागों के पत्रों एवं सूचनाओं से भी यह तथ्य सिद्ध होता है कि अपीलार्थी को सूचना दिनांक 17.05.2018 को जरिये डाक प्रेषित की गई जो जावक शाखा से दिनांक 23.05.2018 को जरिये रजिस्ट्री एडी से भिजवा दी गई है। सूचना समयावधि में नहीं दिए जाने से अपीलार्थी को निःशुल्क भिजवाई गई है ऐसी स्थिति में अपील में कोई सार प्रतीत नहीं होता है।

अतएव उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी को सूचना निःशुल्क उपलब्ध करादी जाने से अपील सारहीन एवं बलहीन होने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपीलार्थी व प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर(प्रशा0) भीलवाड़ा को सूचनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 29/05/2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा